YOUNG INDIA > YOUNG PAPER

NBT

नवभारत टाइम्स

नोएडा > शनिवार, 6 जून 2020 > ज्येष्ठ 16 शक संवत 1942 आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2077 | नोएडा | पेज 14* > मूल्य 3.50 या 9.00 रुपये द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित | www.nbt.in

कैसे कम होगा प्रदूषण, सिर्फ 1 बिल्डर ने लगाई एंटी स्मॉग गन

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेनो के 45 बिल्डरों को ये गन लगाने के निर्देश दिए थे

विशेष संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

प्रदूषण को लेकर नोएडा की हालत कुछ साल से लगातार खराब रही है, जिसमें धड़ल्ले से चल रहे हाउसिंग प्रॉजेक्ट की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसी के साथ पर्यावरण को सुधारने के तमाम दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन सचाई यह है कि ग्रेटर नोएडा में पिछले 5 माह में केवल एक बिल्डर ने ही एंटी स्मॉग गन लगाई है। प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस संबंध में किसी बिल्डर के खिलाफ अब तक कार्रवाई भी नहीं की गई है।

File Photo

बिल्डर गौड़ संस ने ही अपनी साइट पर लगाई है एंटी स्मॉग गन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन

कुछ साल से स्मॉग ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों का जीना हराम कर रखा है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रदूषण से हर कोई परेशान था। यहां तक कि सरकार व प्रशासन ने निर्माण कार्य बंद करा दिए थे। यहां तक कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सभी निर्माण साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगवाने का आदेश दिया था। इसके अलावा खनन गतिविधियों, पार्किंग एरिया, धूल वाले एरिया में छिड़काव आदि के भी निर्देश दिए थे। एनसीआर में 20 हजार वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाना सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद 29 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा व ग्रेनो वेस्ट के 45 बिल्डरों को नोटिस जारी कर एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए थे।

आरटीआई के जवाब से हुआ खुलासा

नोटिस देने के बाद अब तक विभाग को केवल एक बिल्डर गौड़ संस की ओर से रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने एंटी स्मॉग गन लगा ली है। अन्य 44 बिल्डरों की ओर से विभाग को कोई सूचना नहीं मिली। ये बात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेनो के पर्यावरण प्रेमी विकास कुमार की आरटीआई के जवाब में कही है। इसके अनुसार इस समय इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया गया कि क्या इस तरह वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन नहीं हैं? जिले में अब भी धूल के गुबार उड़ रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू होने लगे हैं। ऐसे में प्रदूषण फिर बढ़ने की आशंका है।

हो जाएं सचेत

- प्रदूषण मामले में गौतमबुद्ध नगर की हालत कुछ साल से खराब रही है
- जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए थे
- जिले में एक को छोड़कर किसी बिल्डर ने नहीं दिखाई अब तक गंभीरता
- लॉकडाउन के बाद शुरू हुए जिले में हाउसिंग प्रॉजेक्ट पर निर्माण, बढ़ सकता है प्रदूषण